

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--:: कार्यालय आदेश ::--

श्री भागीरथ गुरडा व्याख्याता रसायन विज्ञान, राज. पीसीबी. उमावि सुजानगढ-चूरु के द्वारा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(3) एफ.डी (रूल्स) 2017 दिनांक 15.02.2018 के प्रावधान अन्तर्गत राजस्थान सेवा नियम -08 ए में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम श्री भगीरथ गर्ग परिवर्तित किया है।

अतः श्री भागीरथ गुरडा व्याख्याता रसायन विज्ञान, राज. पीसीबी. उमावि सुजानगढ-चूरु के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्री भगीरथ गर्ग अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्री भागीरथ गुरडा से संबंधित राजकीय आदेश /कार्यों में परिवर्तित नाम श्री भगीरथ गर्ग संशोधित/जारी किया जावे।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/सा/संस्था/सी-4/रजि:गृ/नाम-उपनाम परि./2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 07/06/2019

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, (माध्य) चूरु
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरु
3. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य राज. पीसीबी. उमावि सुजानगढ-चूरु
4. संबंधित कार्मिक श्री: भागीरथ गर्ग, व्याख्याता रसायन विज्ञान
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर